**<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>**

पीठासीन न्यायाधीश - सुनीता मीणा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**<u>दाण्डिक निगरानी संख्या - 51/2021</u>**

दीपक उर्फ दीपेश कुमार मीणा पुत्र फूलचन्द मीणा, उम्र 23 वर्ष, निवासी रटलाई, पुलिस थाना रटलाई, तहसील बकानी, जिला-झालावाड़ (राज.)

**– निगराकार**

**बनाम**

1- राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, झालावाड़ (राज.)

2- नरेश मीणा पुत्र रामसिंह, निवासी पिड़ावा, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला-झालावाड़ (राज.) **– गैरनिगराकार**

**दाण्डिक निगरानी याचिका बनाराजगी प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 01.09.2021, जो श्रीमती अम्बिका, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ द्वारा निय.फौज.प्र.सं.-364/2021 (एफ.आर.नं.-02/2019), बउनवान नरेश कुमार बनाम दीपक मीणा, अन्तर्गत धारा 305 भा.दं.सं. में पारित किया गया।**

**उपस्थितः-**

1- श्री ओमप्रकाश त्रिवेदी, अधिवक्ता, निगराकार की ओर से।

2- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

3- श्री चरणसिंह, अधिवक्ता, परिवादी/गैरनिगराकार सं.-2 की ओर से।

**<u>आदेश</u>** **दिनांक- 10.03.2026**

हस्तगत दाण्डिक निगरानी याचिका निगराकार दीपक उर्फ दीपेश कुमार मीणा की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं.-364/2021 (एफ.आर.नं.-02/2019), बउनवान नरेश कुमार बनाम दीपक मीणा, अन्तर्गत धारा 305 भा.दं.सं. में पारित आलौच्य प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 01.09.2021, से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो कालान्तर में उनके आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2- हस्तगत मामले में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी नरेश कुमार द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश करने पर थाना पिड़ावा

द्वारा उक्त प्रकरण एफ.आई.आर. संख्या-132/2019 में दर्ज की गयी। बाद अनुसंधान पुलिस थाना पिड़ावा द्वारा न्यायालय में नतीजा अंतिम परिणाम अदम वकू झूंठ में प्रस्तुत किया गया, जिससे व्यथित होकर परिवादी नरेश कुमार ने जरिये अधिवक्ता प्रोटेस्ट पीटीशन प्रस्तुत की एवं समर्थन में स्वयं तथा गवाह रायसिंह, रामगोपाल, प्रहलाद एवं कौशल्याबाई के बयान अन्तर्गत धारा 200 व 202 दं.प्र.सं. में लेखबद्ध करवाये। दौराने बहस मुख्य रूप से परिवादी ने अपने रिपोर्ट के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.07.2018 को उसकी भानेज पिंकी मीणा ने घर पर कमरे में पंखे से फांसी लगा ली। दीपक मीणा किशनपुरिया ने पिंकी का अश्लील फोटो वाट्सअप पर वायरल कर दिया। दीपक ने धोखे से पिंकी का फोटो लिया था, जिसके वायरल होने पर उसकी भानेज पिंकी ने आत्महत्या की है। लेकिन थाना पिड़ावा में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने थाने में दी लिखित रिपोर्ट, एस.पी. झालावाड़ को दिये गये परिवाद की प्रति मय रसीद एवं फोटोग्राफ तथा उसकी भानेज का सुसाईट नोट पेश किया। मुलजिम के विरूद्ध धारा 306 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया, इत्यादि। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर दिनांक 01.09.2021 को आलौच्य आदेश पारित करते हुए अभियुक्त दीपक मीणा पुत्र फूलचन्द मीणा, निवासी किशनपुरिया, पुलिस थाना रटलाई, जिला-झालावाड़ (राज.) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 305 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3- विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका मुख्यतः इन आधारों पर पेश की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.09.2021 न्याय एवं पत्र संग्रह सार पर आये तथ्यों के विरूद्ध है, जो निरस्त होने योग्य है। परिवादी ने पुलिस थाना पिड़ावा को तुरन्त पिंकी द्वारा की गयी आत्महत्या की सूचना नहीं दी। पिंकी मीणा ने दिनांक 20.07.2018 को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। निगरानी गुजार स्वर्गीय आत्मा पिंकी मीणा के प्रति अपना आदर करता है और पिंकी ने भी कभी द्वेष की भावना नहीं रखी थी। उक्त आत्महत्या का कारण परिवादी नरेश मीणा ने 5 माह पूर्व निगरानी गुजार व स्वर्गीय पिंकी मीणा का फोटो वायरल होना बताकर व उक्त फोटो को अश्लील बताकर व वायरल होना बताकर उक्त फोटो वायरल होने के कारण 4 माह बाद स्वर्गीय पिंकी मीणा ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कारण बताया। तथाकथित फोटो वायरल होना बताया हो स्वर्गीय पिंकी का साधारण फोटो था,

जिसे अश्लील बताया है। स्वर्गीय पिंकी मीणा को परिवादी नरेश मीणा व उसके माता-पिता रामसिंह व रामप्यारी व प्रहलाद मीणा व अन्य द्वारा उक्त फोटो को वायरल होने की घटना के बाद से निगराकार व उक्त फोटो को लेकर लगातार 4-5 माह तक स्वर्गीय पिंकी मीणा को प्रताड़ित किये जाने से वास्तव में उक्त घटना घटित हुई है। फोटो वायरल होने के बाद सदभावना से निगराकार के परिजन परिवादी पक्ष के रामसिंह मीणा व नरेश मीणा, प्रहलाद मीणा के पास स्वर्गीय पिंकी मीणा व दीपक उर्फ दीपेश मीणा के विवाह के लिये प्रस्ताव लेकर गये, जिसे परिवादी पक्ष ने नहीं माना, जिसके फलस्वरूप स्वर्गीय पिंकी ने जीवन लीला समाप्त करने का खतरनाक कदम उठाया। विद्वान विचारण न्यायालय ने आपराधिक प्रसंज्ञान लेते समय प्रकरण में लाई गई साक्ष्य छिपाई गई व बनावटी साक्ष्य पर गौर नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायालय का दीपक उर्फ दीपेश मीणा द्वारा फोटो वायरल का आरोपी मानकर प्रसंज्ञान लिया है, जबकि मोबाईल एक इन्स्ट्रूमेन्ट है, जिसको कोई भी अनाधिकृत कहीं पर भी ले जा सकता है और प्रयोग में ला सकता है, जैसे तथ्यों पर गौर नहीं किया है। फोटो वायरल होने की तारीख 24.03.2018 व आत्महत्या दिनांक 20.07.2018 के बीच लगभग 4-5 माह का अन्तराल है। विद्वान विचारण न्यायालय को पुलिस द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत किये जाने पर इस मामले को धारा 173(8) दं.प्र.सं. में फरदर इन्वेस्टीगेशन के लिये पुनः पिड़ावा पुलिस को सुपुर्द किया जाना चाहिये था। हस्तगत निगरानी याचिका उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की होने से प्रस्तुत कर हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 01.09.2021 को अपास्त किये जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

4- उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी सुनी गई।

5- विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने दौराने बहस निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 न्याय के सिद्धान्तों एवं अभिलेख पर उपलब्ध संग्रह सार पर आये तथ्यों के विपरीत है। परिवादी पक्ष ने पिंकी द्वारा की गयी आत्महत्या की सूचना तुरन्त पुलिस थाना पिड़ावा को नहीं की है। पिंकी मीणा द्वारा दिनांक 20.07.2018 को आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। परिवादी नरेश कुमार ने उक्त आत्महत्या का दोषी निगराकार दीपक उर्फ दीपेश मीणा को बताया गया है, जबकि दीपेश मीणा के परिवारजन स्वर्गीय पिंकी मीणा से दीपक उर्फ दीपेश का विवाह प्रस्ताव लेकर गये थे, परन्तु परिवादी

पक्ष ने उस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया व निगराकार व पिंकी मीणा के आपसी संबंध को लेकर परिवादी पक्ष द्वारा पिंकी मीणा को परेशान व प्रताड़ित किया, जिसके कारण पिंकी मीणा ने आत्महत्या की है और जिसकी आत्महत्या का आरोप रंजिशवश निगराकार पर डालकर झूंठी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पुलिस थाना पिड़ावा द्वारा प्रकरण को झूंठा मानते हुए एफ.आर. लगा दी थी। जिस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से, उक्त आदेश अपास्त करते हुए हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

6- इसके विपरीत गैरनिगराकार क्रम-1 व विद्वान अधिवक्ता गैरनिगराकार क्रम-2 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 01.09.2021 को न्यायोचित एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुकूल होना मानते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने व अभियुक्त को गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किये जाने का समर्थन करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त आदेश को पुष्ट किये जाने व निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

7- उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

8- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी नरेश मीणा ने उसकी भानेज मृतका पिंकी की मृत्यु के संबंध में उसके अश्लील फोटो वाट्सअप पर डालकर निगराकार दीपक द्वारा उसे परेशान करना तथा जिसकी वजह से मृतका पिंकी द्वारा आत्महत्या किया जाना अपनी तहरीरी रिपोर्ट में अंकित किया है। पत्रावली पर मृतका पिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके अनुसार मृतका पिंकी की मृत्यु का कारण लटकने के कारण एसफिक्सिया से होना बताया है, जिसकी ताईद गवाह नरेश कुमार ने अपने बयानों में करते हुए बताया है कि दिनांक 20.07.2018 को पिंकी द्वारा घर पर कमरे में पंखे से लटककर फांसी लगा ली तथा मृतका पिंकी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का कारण उसके अश्लील फोटो लेकर वाट्सअप पर वायरल होना बताया है। उक्त परिवादी नरेश कुमार के बयानों की पुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत गवाह रायसिंह ने भी की है। साथ ही परिवादी नरेश कुमार के साथ घटना की दिनांक को मृतका के घर जाना गवाह रामगोपाल ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि जब वे घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसे तो वहां उन्होंने पिंकी को उतारा और अस्पताल

लेकर गये, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। गवाह रामगोपाल और पिकी के पिता गवाह प्रहलाद ने भी अपने बयानों में दीपक मीणा द्वारा मृतका पिंकी के फोटो वाट्सअप पर वायरल करने के कारण स्कूल की सहेलियों द्वारा उसे दीपक के नाम से चिढ़ाने, जिससे वह काफी परेशान रहने लगना बताया है तथा मृतका पिंकी की माता कौशल्याबाई द्वारा भी अपने बयानों में उक्त गवाहान के बयानों का समर्थन किया है।

9- विद्वान अधिवक्ता निगराकार का यह तर्क है कि मृतका का निगरानीकर्ता के साथ फोटो निगराकार ने वायरल नहीं किये, बल्कि मोबाईल एक ऐसा इन्स्ट्रूमेन्ट है, जिसको कोई भी अनाधिकृत कहीं पर भी ले जा सकता है और उपयोग में ला सकता है तथा मृतका द्वारा स्वयं के परिवार से पीड़ित होकर स्वयं आत्महत्या की, क्योंकि निगरानीकर्ता के परिवारजन द्वारा लिये गये विवाह प्रस्ताव को मृतका के परिवारजन ने नहीं माना था। जहां तक विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता के उपरोक्त तर्कों का संबंध है तो उक्त तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु नहीं है। न्यायालय को पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य सामग्री एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना होता है। प्रकरण में परिवादी नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्त दीपक द्वारा परिवादी की भांजी मृतका पिंकी का अश्लील फोटो वाट्सअप पर वायरल कर मृतका पिंकी को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किये जाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 305 में यह अभिलिखित है कि ''ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वह व्यक्ति यदि आरोपी द्वारा दुष्प्रेरित करने पर आत्महत्या कर ले, तो उक्त आरोपी का उक्त कृत्य दण्डनीय माना गया है।'' हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से मृतका पिंकी की मृत्यु दिनांक 20.07.2018 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना पाया गया है तथा मृतका पिंकी की आयु के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 15.06.2001 बतायी गयी है, जिससे मृतका पिंकी आत्महत्या की दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की होना प्रकट होता है। पत्रावली पर मृतका पिंकी का आखरी सुसाईड नोट भी उपलब्ध है, जिसमें अंतिम पंक्ति में यह लिखा है कि ".....उसने मेरी पूरी जिन्दगी बर्बाद कर दी।" तथा ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

10- फलतः निगराकार दीपक उर्फ दीपेश कुमार मीणा की ओर से प्रस्तुत हस्तगत दाण्डिक निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 01.09.2021 की सम्पुष्टि की जाती है। आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब भिजवाई जावे।

**(सुनीता मीणा)**
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

11- आदेश आज दिनांक **10.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुनीता मीणा)**
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.13 15:09:28 +0530

नोट: यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।